

एकांतता बनाम गोपनीयता

गंगानन्द झा

अंग्रेज़ी में एक उक्ति है जिसका तात्पर्य है कि जो व्यक्ति एकांतता का सम्मान नहीं करता वह बर्बर होता है, और जो गोपनीयता बनाए रखता है, वह खतरनाक होता है। सूचना प्रौद्योगिकी की वर्तमान दशा एवम् दिशा के मद्देनज़र बहुत सारे भविष्यवेत्ता, विज्ञानकथा लेखक और गोपनीयता के हिमायती चिन्तित हैं कि भविष्य में एकांतता तथा गोपनीयता हमारे नसीब में उपलब्ध नहीं रहेगी। हम कब कहाँ हैं, मोबाइल फोन के ज़रिए सहज रूप से जाना जा सकता है। दुनिया के हर कोने में फैलते जा रहे सी.सी.टी.वी. कैमरा अक्सर हमारी हरकत बताते रहते हैं। हमारे ट्रांज़िट पास और क्रेडिट कार्ड डिजिटल चिन्ह छोड़ते हैं। डेविड ब्रिन ने



1998 में प्रकाशित अपनी किताब *द ट्रांसपेरेंट सोसाइटी* में लिखा था, “हमारे जीवन का लगभग हर कोना रोशन रहने वाला है। अब सवाल यह नहीं है कि निगरानी प्रौद्योगिकी के प्रसार को कैसे रोका जाए, बल्कि यह है कि ऐसी दुनिया में कैसे जीएं जहाँ हमारे हर कदम पर नज़र रखी जाने की पूरी सम्भावना है।”

पिछले कुछ सालों में कुछ अजीब बातें हुई हैं। मोबाइल फोन, डिजिटल कैमरा और इंटरनेट के प्रसार के नतीजतन निगरानी प्रौद्योगिकी, जिस पर कभी राज्य का एकाधिकार हुआ करता था, आज काफी विस्तृत रूप से उपलब्ध हो गई है। सुरक्षा विशेषज्ञ ब्रुस स्नीयर कहते हैं, “सरकारी निगरानी के बारे में बहुत कुछ लिखा जा चुका है, पर हमें अधिक साधारण किस्म की निगरानी की सम्भावना के प्रति भी सावधान होने की ज़रूरत है।” निगरानी टेक्नॉलॉजी उपकरणों

के छोटे होते जा रहे आकार, घटती कीमतें और रोज़-ब-रोज़ उन्नत होती पद्धतियों की बदौलत अधिक से अधिक जानकारी संग्रहित करना आसान होता जा रहा है। इसका नतीजा यह हुआ है कि “निगरानी की क्षमताएं जो अब तक सरकारी क्षेत्र तक सीमित थीं, हर किसी के हाथों में आ गई हैं या जल्दी ही आ जाएंगी।”

कैमरा-फोन एवं इंटरनेट जैसी डिजिटल टेक्नॉलॉजी अन्य टेक्नॉलॉजियों से बहुत अलग होती है। डिजिटल तस्वीरों की प्रतिलिपियां आसानी से और तेज़ी से बनाई जा सकती हैं और दुनिया के किसी भी हिस्से में भेजी जा सकती हैं। ऐसा पारंपरिक तस्वीरों के साथ नहीं हो

सकता। (हकीकत तो यह है कि डिजिटल छवि को ई-मेल करना उसके मुद्रण करने से अधिक आसान है।) एक बड़ा फर्क यह भी है कि डिजिटल तंत्र बहुत अधिक व्यापक है। आज बहुत ही कम लोग फिल्म कैमरा हर वक्त अपने साथ रखते हैं। दूसरी ओर, ऐसे मोबाइल फोन मिलना आज बहुत कठिन है जिसमें कैमरा शामिल न हो। और अधिकतर लोग फोन अपने साथ लिए घूमते हैं। डिजिटल कैमरे की गति एवं सुलभता उन्हें ऐसे काम करने की ताकत देती है जो फिल्म-आधारित कैमरे से नहीं किए जा सकते। उदाहरण के लिए टेनेसी, नैशविले में राहज़नी के एक भुक्तभोगी ने अपने मोबाइल फोन के कैमरे से लुटेरे और उसकी गाड़ी की तस्वीरें खींच लीं। पुलिस ने ये तस्वीरें देखकर लुटेरे और उसकी गाड़ी का वर्णन प्रसारित कर दिया, और दस मिनट के भीतर लुटेरा पकड़ा गया। इस तरह की बहुत-सी

घटनाओं की कहानियां हम हमेशा सुना करते हैं।

हर कदम पर निगाह

निगरानी का प्रजातांत्रिकरण मिश्रित वरदान है। कैमरा-फोन से ताक-झांक को बढ़ावा मिला है। फलस्वरूप लोगों के अधिकारों की रक्षा के लिए नए कानून बनाए जा रहे हैं। अमरीकी कांग्रेस ने सन 2004 में वीडियो ताक-झांक विधेयक (Video Voyeurism Act) पारित किया था। इसके ज़रिए किसी व्यक्ति की अनुमति के बगैर उसके नंगे बदन के विभिन्न भागों की तस्वीर खींचने पर प्रतिबंध लगाया गया है। कैमरा-फोन के व्यापक प्रसार के साथ शयन-कक्षों, सार्वजनिक शौचालयों एवं अन्य स्थानों में गुप्त कैमरे लगे होने की घटनाओं के कारण इस विधेयक की ज़रूरत महसूस की गई थी। इसी तरह जर्मनी की संसद ने एक विधेयक पारित किया है जिसके द्वारा इमारतों के भीतर अनाधिकृत तस्वीरें खींचने पर प्रतिबंध लगाया गया है। सऊदी अरब में कैमरा-फोन के आयात और बिक्री को अवैध घोषित कर दिया गया है क्योंकि आरोप था कि इससे अश्लीलता फैलती है। दक्षिणी कोरियाई सरकार ने निर्माताओं को ऐसे फोन बनाने की हिदायत दी है जिनसे तस्वीर खींचते वक्त सीटी की आवाज़ निकले।

सस्ती निगरानी प्रौद्योगिकी दूसरे किस्म के अपराधों की राह हमवार करती है। ब्रिटिश कोलम्बिया में एक पेट्रोल पंप के दो कर्मचारियों ने कार्ड रीडर मशीन में एक गुप्त कैमरा लगा लिया और हज़ारों ग्राहकों की निजी पहचान संख्या (पिन) की चोरी कर ली। उन्होंने एक ऐसा यंत्र भी स्थापित कर दिया था जो उपभोक्ताओं द्वारा अपने प्लास्टिक कार्ड का इस्तेमाल करते समय उनके खातों के विवरण की नकल कर लेता था। पकड़े जाने से पूर्व ये दो व्यक्ति 6000 से अधिक लोगों के खातों के विवरण इकट्ठा कर चुके थे

तथा 1000 जाली बैंक कार्ड बना चुके थे।

दुधारी निगरानी प्रौद्योगिकी

निगरानी प्रौद्योगिकी के प्रसार के लाभदायक पहलू भी हैं। खासकर पारदर्शिता एवं जवाबदेही बढ़ाने में इसका योगदान उल्लेखनीय है। आज स्कूलों में कैमरों की संख्या में रोज़-ब-रोज़ वृद्धि होती जा रही है। कक्षाओं में भी वेबकैम लगाए जा रहे हैं। अमरीका के सैकड़ों शिशु देखभाल केंद्रों के कैमरे parenwatch.com और kindercam.com जैसी वेब-आधारित सेवाओं से जुड़े हैं, ताकि माता-पिता देख पाएं कि उनके बच्चे और उनकी देखभाल करने वाले कर्मचारी क्या कर रहे हैं। औद्योगिक कम्पनियों ने अपने कर्मचारियों के रेस्तराओं में वेबकैम लगाए हैं ताकि रेस्तराओं में भीड़ हो, तो कर्मचारी वहां थोड़ी देर से जाएं। अबु गरीब जेल में कैदियों पर पाशविक अत्याचार का पर्दाफाश वीडियो प्रौद्योगिकी के कारण ही मुमकिन हो पाया है।

निगरानी प्रौद्योगिकी के प्रसार के सामाजिक परिणाम अभी भी स्पष्ट नहीं हैं। श्री ब्रिन के अनुसार यह स्वतः नियामक हो सकता है। यह तो जगज़ाहिर है कि ताक-झांक करने वाले लोगों को इज़्ज़त की नज़र से नहीं देखा जाता। किसी रेस्तरां में घूरते हुए पकड़ा जाना बड़ा ही शर्मनाक होता है। दूसरी ओर कैमरों और निगरानी के अन्य उपकरणों के सर्वव्यापी होने से व्यक्तियों के लकीर के फकीर होने की सम्भावना भी बढ़ सकती है क्योंकि अपने ऊपर बहुत ज़्यादा ध्यान पड़ने से बचने के लिए लोग अपनी व्यक्तिगत खूबियों को ज़ाहिर करने से बचने की कोशिश करेंगे।

प्रायवेसी के हिमायतियों ने बहुत पहले चेतावनी दी थी कि एक ऐसे समाज के उभरने की प्रक्रिया चल रही है जिसमें पहरेदारी या निगरानी को सामाजिक अनुमोदन मिल जाएगा। (स्रोत फीचर्स)



स्रोत के ग्राहक बनें, बनाएं

सदस्यता शुल्क एकलव्य, भोपाल के नाम ड्राफ्ट या मनीऑर्डर से भेजें।

पता - ई-10, शंकर नगर, बी.डी.ए. कॉलोनी, शिवाजी नगर, भोपाल (म.प्र.) 462 016

वार्षिक सदस्यता
व्यक्तिगत 150 रूपए
संस्थागत 300 रूपए